

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/71


जयपुर, दिनांक-18.08.21

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों तथा लोकोपयोगी प्रयोजन के अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(109) राजस्व-ब/60 दिनांक 20.7.1963 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा प्रदत्त की जाती है।


यह अधिसूचना 'प्रशासन गांव के संग अभियान-2021' की अवधि दिनांक 02.10.2021 से 17.12.2021 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


18/08/2021
(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
9. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांकमें प्रकाशन हेतु।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


18/08/2021
शासन उप सचिव